न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

कल्याण वगै0 बनाम भौरीदेवी वगै0

मुकदमा संख्या : 115/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 28.10.2025 को पेश हों।	
	28.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद पत्र वादी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 261 रकबा 0.58है0 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 03.09.2021 को प्रस्तुत किया है जबकि उक्त भूमि बाबत ही प्रतिवादी सं0 1 का वाद सं0 94/2021 उनवानी भौरी देवी बनाम कल्याण वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट के तहत दिनांक 28.07.2021 को प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा प्रतिवादीगणों की तामील दिनांक 03.08.2021 को जरिये रजि0 ए0डी0 करवा दी गई जो कि उक्त वाद पत्र की सूचना प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गई थी, के बावजूद प्रतिवादी कल्याण द्वारा उक्त पूर्व वाद पत्र के तथ्यों को छिपाते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का नवीन वाद पत्र पेश किया है जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी के विवाद विषय एक ही है पूर्व संसथित वाद में प्रत्यक्षः और सारतः विवाद है जब तक वादीया का वाद बाबत घोषणा का न्यायालय में विचाराधीन है तो प्रतिवादी सं0 1 द्वारा बाद में प्रस्तुत किये गये वाद पत्र की कार्यवाही को अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी से बाधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को रोक दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। वादी उक्त पूर्व संसथित वाद मुकदमा सं0 94/2021 में अपना जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता था लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पूर्वतन संसथित वाद में प्रत्यक्षः ओर सारतः विवाध एक ही है व वादग्रस्त आराजी भी एक ही है ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी से बाधित होने के कारण वादी के वाद की कार्यवाही रोक दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद पत्र की कार्यवाही को पूर्व संसथित वाद के निस्तारण तक रोकने/ड्रोप करने की कृपा करें। वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 261 रकबा 0.58है0 ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जवमारामगढ के संबंध में एक वाद सं0 94/2021 उनवानी भौरी देवी बनाम कल्याण वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट के तहत दिनांक 28.07.2021 को पेश करना अवगत कराया है। उक्त संबंध में निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद के धारा 88 के तहत मूल रूप से अनुतोष चाहा है। जिसमें खातेदारी घोषणा होने के बाद ही स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय अनुसार विधित है। जबकि वादी द्वारा उक्त प्रकरण बाबत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर वर्तमान मौजूद खातेदार काश्तकारों को पाबन्द करने का निवेदन किया है। अतः पत्रावली में प्रस्तुत मे प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी को खारिज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि वादांकित भूमि के संबंध मे पूर्व में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा एक वाद सं0 94/2021 उनवानी भौरी देवी बनाम कल्याण वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट के तहत दिनांक 28.07.2021 को पेश किया गया है तथा वादी द्वारा भी उक्त वादांकित भूमि के संबंध में उक्त वाद अन्तर्गत धारा	

188 के तहत 03.09.2021 को पेश किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि मु0 नं0 94/2021 पहले पेश किया गया है। अतः बाद में प्रस्तुत वाद को पूर्व में प्रस्तुत वाद के साथ हमफिता कर एक साथ सुनवाई करना आवश्यक है। अतः प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर इस वाद पत्र सं0 115/2021 की कियान्विति इसी स्तर पर स्थगित रखी जाती है तथा पूर्व में प्रस्तुत वाद सं0 94/2021 उनवान भौरी देवी बनाम कल्याण वगै0 के साथ हमफिता करने के आदेश दिये जाते है।